नियामक निकायों के क्षेत्र में सूचना का अधिकार का प्रयोग कैसें करें?

<u>शब्दकोष</u>

I. केंद्रीय सूचना आयोग- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (ख) में तहत परिभाषित। केंद्रीय सूचना आयोग केंद्र सरकार के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

II. सूचना - धारा 2(च) "सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

III. लोक प्राधिकरण- 2 (ज) "लोक प्राधिकारी" से.

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

IV. सूचना का अधिकार- 2(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है

i. कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

ii. दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना:

iii. सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

iv. डिस्केट फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्टानिक रीति में या प्रिंटआऊट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना; (ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत

V. राज्य सूचना आयोग- आरटीआई अधिनियम की धारा 2 (के) के तहत परिभाषित। राज्य सूचना आयोग राज्य सरकार के अधीन लोक प्राधिकरणों के संबंध में शिकायतों और अपीलों से निपटने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

1. पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (इसके बाद 'आरटीआई' के रूप में संदर्भित) सार्वजनिक प्राधिकरणों से मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने का इरादा रखता है। सूचना को आरटीआई अधिनियम की धारा 2(च)

और अधिनियम की धारा 2(ज) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत परिभाषित किया गया है। संबंधित अनुभाग नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं-

सूचना- धारा 2(च) "सचना" से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, झापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने. माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री अभिप्रेत है;

लोक प्राधिकरण- 2(ज) "लोक प्राधिकारी" से-

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा ;

(ग) राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा , स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत,

i. कोई ऐसा निकाय है जो समुचित सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है;

ii. कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा सारभूत रूप से वित्तपोषित है।

2. नियामक निकाय क्या हैं?

नियामक एजेंसी या नियामक निकाय एक सरकारी प्राधिकरण है जो बैंकिंग, बीमा, प्रतिभूति विनिमय और दूरसंचार आदि जैसे संचालन के कुछ क्षेत्रों पर स्वायत्त प्रभुत्व का प्रयोग करने के लिए जिम्मेदार है। इन क्षेत्रों में कुछ सामान्य ज्ञात नियामक निकाय नीचे सूचीबद्ध हैं-

बैंकिंग- भारतीय रिजर्व बैंक

बीमा- बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण

सिक्योरिटीज- सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया

दूरसंचार- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

3. नियामक संस्थाएं आरटीआई के दायरे में क्यों आ रही हैं?

सभी नियामक निकाय केंद्र सरकार के नियंत्रण में हैं और आरटीआई अधिनियम के तहत जवाबदेह हैं क्योंकि वे धारा 2 (ज) (ख) के तहत सार्वजनिक प्राधिकरण हैं क्योंकि वे संसद के अधिनियमों के तहत स्थापित हैं। वे सीधे सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं और इस प्रकार उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। धारा 2 (ज) (ख) नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है-

"धारा 2(ज) "लोक प्राधिकारी" से.

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;"

4. नियामक निकायों में आरटीआई का उपयोग कैसे करें?

नियामक निकाय आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी देने के लिए बाध्य हैं। इसे निम्नलिखित बिंदुओं के अनुपालन में मांगा जा सकता है-

भारतीय रिजर्व बैंक- भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश में बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करता है। निम्नलिखित के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का उपयोग किया जा सकता है-

i. बैंकिंग रिपोर्ट
ii. केंद्रीय बोर्ड की बैठकों के कार्यवृत्त
iii. कुछ जानकारी आरबीआई की वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध करा दी गई है
iv. भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपील दायर की जा सकती है। ऐसी अपील यदि डाक द्वारा दायर की जाती है तो उसे संबोधित किया जा सकता है:

श्री राधा श्याम राठौर

कार्यकारी निदेशक (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई - 400001

श्री विवेक दीप

कार्यकारी निदेशक (वैकल्पिक अपीलीय प्राधिकारी)
भारतीय रिजर्व बैंक,
केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग,
मुंबई - 400001

v. इस तरह की अपील की स्थिति को दाखिल करने पर दी गई पंजीकरण संख्या द्वारा जांचा जा सकता है।

बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण- यह भारत में बीमा क्षेत्र के लिए नियामक निकाय है।

i. आईआरडीएआई ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख), धारा 4(1)(ग) और धारा 4(1)(घ) के तहत जानकारी का खुलासा किया है|
ii. आईआरडीएआई ने हाल ही में एक सूची जारी की है जिसमें उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार विभिन्न लोक सूचना अधिकारीयों को नामित किया है।
iii. निम्नलिखित पते पर एक आरटीआई आवेदन ऑनलाइन या डाक द्वारा भी दाखिल किया जा सकता है:

आईआरडीएआई
एस.वाय. नं. 1/2,

वित्तीय जिला, नानकरंगुडा,

गच्चीबौली, हैदराबाद – 2000

iv. यदि कोई अपील दायर की जानी है, तो उसे संबोधित किया जा सकता है|

श्री रणदीप सिंह जगपाली

मुख्य महाप्रबंधक, आईआरडीएआई

सी. संख्या 115/1, वित्तीय जिला, नानकरंगुडा,

गच्चीबौली, हैदराबाद - 500032

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड- एस.ई.बी.आई. भारत में प्रतिभूति विनिमय का नियामक निकाय है।

i. आरटीआई आवेदन दाखिल करने के लिए या तो इसे ऑनलाइन दाखिल करने या डाक द्वारा भेजने का प्रावधान है।

ii. एस.ई.बी.आई. ने आरटीआई अधिनियम के तहत प्रदान की गई जानकारी के प्रकाशन के लिए स्वत: प्रेरणा प्रकटीकरण किया है

सीआईसी के आदेशों के अनुपालन में, एस.ई.बी.आई. ने अपनी वेबसाइट पर निम्नलिखित जानकारी प्रकाशित की है-

श्री कपिल विनायक बनाम सीपीआईओ, सेबी के मामले में सीआईसी के आदेश के अनुपालन में डीएमसी सागौन इकाई योजना के पुनर्भुगतान पर रिपोर्ट प्रेषित की हैं।

श्री भूपेंद्र चौधरी बनाम सीपीआईओ, सेबी के मामले में, सीआईसी ने सेबी को यूनिकॉन सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में अपीलकर्ता को जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया। लिमिटेड|

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण- ट्राई भारत में दूरसंचार ऑपरेटर के लिए नियामक संस्था है। निम्नलिखित जानकारी वेबसाइट पर आसानी से उपलब्ध है।

i. ट्राई मैनुअल

ii. अपीलकर्ता प्राधिकारी का नाम और पता

iii. पारदर्शिता अधिकारियों का नाम और पता

iv. पिछले आरटीआई आवेदन और उनके जवाब

v. कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय या अदालती मामलों का विवरण

vi. ट्राई को एक आरटीआई आवेदन को यहां संबोधित किया जा सकता है:

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया

महानगर दूरसंचार भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग

(ओल्ड मिंटो रोड), नई दिल्ली-110 002

5. अन्य नियामक निकायों में आरटीआई कैसे दर्ज करें?

चूंकि सभी नियामक निकाय केंद्र सरकार के अधीन हैं, इसलिए इन प्राधिकरणों को एक आरटीआई आवेदन ऑनलाइन या डाक द्वारा दायर किया जाना चाहिए।

डाक द्वारा आवेदन भेजने के लिए, आवेदक को संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण/नियामक निकायों के पीआईओ को आवेदन को संबोधित करना चाहिए।

आरटीआई आवेदन का प्रारूप

आरटीआई आवेदन

31 अक्टूबर 2021

प्रति,
लोक सूचना अधिकारी,
बीएसएनएल कार्यालय,

करोल बाग, दिल्ली, भारत

महोदय,

आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है। कृपया प्रस्तुत करें:

1. शिकायत संख्या 546/20 की वर्तमान स्थिति धीमी डाटा स्पीड के कारण दर्ज की गई है।

भवदिय

_____
_____
_____

आवेदन निरस्त करने से पूर्व कृपया संज्ञान में ले

1. जरुरत पड़ने पर धारा 5 (3) के अंतर्गत " युक्तियुक्त सहायता प्रदान करें
2. यदि आवेदन के पूरा या समुचित भाग पर जानकारी इस विभाग के अधीन उपलब्ध नहीं है तो धारा 6(3) के अंतर्गत अन्य उचित सूचना अधिकारी को अंतरित करने का कष्ट करें ।